

कार्यालय नगर पंचायत मोतीपुर मुज० ।

पत्रांक 31

दिनांक 15-9-2018

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत मोतीपुर ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा),
बिहार (स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा पटना)
मोतीपुर ।

नगर पंचायत मोतीपुर के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-342/2013-14 के विभिन्न कडिकाओं में उठाये गये अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण करने के संबंध में।

श० स्था० नि०/14397/1507 दिनांक-27.01.2014

उपर्युक्त विषयक निर्देशानुसार वरीये लेखा परीक्षा अधिकारी शहरी स्थानीय

निकाय बिहार पटना के प्राप्त पत्र संख्या 14397/1507 दिनांक-27.01.2014 के लेखाओं पर आधारित अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-342/2013-14 के विभिन्न कडिकाओं में उठाये गये अंकेक्षण आपत्तियों का विभिन्न कडिकाओं के सामने साक्ष्य अंकित कर एवं बोर्ड की बैठक दिनांक-20.07.2018 के प्रस्ताव संख्या-12 द्वारा अनुमोदित कराकर अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण हेतु सादर समर्पित।

विश्वासभाजन,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत मोतीपुर।

दिनांक 15-9-2018

ज्ञापांक 31

प्रतिलिपि: अवस सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।



कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत मोतीपुर।

कार्पोरेट नगर पंचायत मॉन्ट्रि (मुजफ्फर)
XXX XXX

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं. ~~344/2015-16~~ का अनुपालन हेतु साक्ष्य :-

क्र.सं.	अंकेक्षण	आपत्ति	अंकेक्षण आपत्ति अनुपालन हेतु साक्ष्य
01		02	03
1.	प्रस्तावना		
2.	प्रशासन		
3.	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र		
4.	पूर्वकी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन		पूर्वकी लेखा परीक्षा सं. 753/2005-2006 का अनुपालन किया गया है. साक्ष्य हेतु - Audit Report No. 753/2005-06 का आपत्ति प्रति Para Setal - 1,2,3,4,5,8,9,10,11,30,32 Form Page - 0-1
5.	आंतरिक लेखा परीक्षा		खिदर नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 का अनुपालन में आंतरिक लेखा परीक्षा कराई गई है, परंतु आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकृत द्वारा अभी तक कोई अंकेक्षण आपत्ति प्रतिवेदन कार्पोरेट को उपलब्ध है।
6.	संभवहार		विभिन्न सहायक सेक्टर इंदियों एवं पी.व.ए.ए.ए.ए. का अंतर्गत का अंतर सं. 2, 06, 24, 944 शक्ति का स्वतंत्र विद्युत नैजार का अंतर्गत अंकेक्षण सं. के अंतर्गत प्रकृत का किया जायेगा। वार्षिक लेखा संवधान का अंतर्गत अंकेक्षण के अंतर्गत प्रकृत कर दिया जायेगा।
7.	वार्षिक लेखा संवधान		अंतर को पिछले आय-उत्पन्न को संवधान में प्रकृत नैजार किया गया है। अंतर को अंतर अनुमोदन हेतु सं. भी गई है। Form Page - 2
8.	अंतर प्रकृत एवं वार्षिक आय - उत्पन्न।		अनुदान पंजी का संवधान का किया गया है साक्ष्य हेतु अनुदान पंजी माहला प्रकृत Form Page - 3 - 36
9.	I. अनुदान पंजी का संवधान नहीं		अनुदान पंजी का संवधान का किया गया है अंतर्गत अनुदान भी शक्ति उत्पन्न का अनुदान पंजी में संवधान का किया गया है। साक्ष्य हेतु अनुदान पंजी माहला प्रकृत सं. है। Form 3-36 का अंतर्गत किया गया
	II. अंकेक्षण अंतर्गत में प्राप्त अनुदान		

ऑडिटिंग प्रविष्टि की कंडिसन
ऑडिटिंग प्रविष्टि सं. - 342/2013-14 का अनुपालन प्रविष्टि
भाग - 'क'

कंडिसन

01

ऑडिटिंग प्रविष्टि

02

ऑडिटिंग प्रविष्टि अनुपालन हेतु लागू

03

1. महत्वपूर्ण ऑडिटिंग प्रविष्टियाँ

कंडिसन प्रविष्टि में साक्ष्य समाहित है जिसका अवलोकन विभिन्न कंडिसनों से किया जा सकता है। किन्तु आपत्ति का निराकरण हो न सके।

2. कर (रेट्रासु) द्वारा शेल्डिंग हेतु गयी
जमा सं. 6-387

ऑडिटिंग के दौरान ही जमा कर ही गई, अनुपालन में साक्ष्य भी दर्शाया प्रति संलग्न।
From Page - 37-38.

3. अलगवट्टा अनुदान सं. 2.90 करोड़/
अवरोध

अलगवट्टा अनुदान शेष सं. 2.90 करोड़ रुपये को जमा कर दिया गया है। साक्ष्य हेतु दर्शाया प्रति संलग्न। From Page - 39-418

30) रेसी सिंग प्रोजेक्ट की शक्ति का
विचलन - 17.71 लाख

शक्ति का समांतराज कर दिया गया है।

4. सौराठ बंदीवारी में 55000 बूल्क सीवरेज
गयी सं. 0.23 लाख

55000 बूल्क सीवरेज शक्ति गयी को नोटिस निर्गत किया गया है। साक्ष्य हेतु नोटिस भी दर्शाया प्रति संलग्न।
From page - 119

5. दुकान किराया भोज की वृद्धि 3.65 लाख

दुकान किराया भी वृद्धि की गई है साक्ष्य हेतु वृद्धि पंजी संदर्भा में प्रति संलग्न।
From Page - 120-165

6. जे.पी.सी. को अनियमित रूप से विद्युत
पट देना तथा विद्युत के तम में शक्ति
2.33 लाख वृद्धि गयी सं. 1

प्रचरी को सुधार हेतु जे.पी.सी. का मा. 500000 हेतु संबंधित कर्मियों को नोटिस निर्गत किया गया है जिसे दर्शाया प्रति संलग्न। From Page - 166

7. संवेदक बिल पर सोलर लाइट का
अनुदान सं. 11.78 लाख

अप सॉलर कंडेसटर (पिना पता धिजापी द्वारा मनेकि) अपर समादेशा मुजुमनपुर तथा मारुपाल के अतिरिक्त राबरीन अमीन मिश्रण अतिरिक्त कमांड प्रोफेशनल भी स्पेशल सर्विस हेतु संवेदक के बिल पर अनुदान किया गया है। सं. संलग्न।
From Page 167-193